On 19-2-1982, a complaint was made to the Commissioner of Police that Madan Lal had been mercilessly beaten by some officials of Police Station, Civil Lines. It was also alleged that an amount of Rs. 450/was paid to the police to secure the release of one Om Prakash, who was also taken to the Police Station along with Madan Lal. An immediate enquiry was ordered to the same date and Madan Lal was sent for treatment to the Jaiparkash Narayan Hospital.

(c) An enquiry was conducted by the Vigilance Branch of the Delhi Police, who came to the conclusion that the case registered against Madan Lal under the Arms Act, appeared *prima facie* to be false. The enquiry further revealed that Madan Lal was tortured. However, the allegation of payment of Rs. 450/- for securing the release of Om Prakash was not established.

Sub-Inspecter H. P. Singh has been placed under suspension. The three constables, involved in the incident have been transferred to the Police Lines North District. It has been decided to hold a departmental enquiry against all the four police officials. The Station House Officer has been transferred out of the District.

मैसर्स तोबू इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि नियमों का उल्लंघन

6971. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स तोबू इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि नियमों का उल्लंघन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों को इस प्रतिष्ठान द्वारा की गई निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला है :—

(i) भविष्य निधि धन राशियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश नहीं किया जा रहा है;

(ii) अस्थाई कर्मचारियों को निधि का सदस्य बनने के लिए पात्रता की निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने से पहले उनकी सेवाओं को समाप्त कर के लाभों से वंचित किया जा रहा है । यह प्रतिष्ठान ऐसे कर्मचारियों के बारे में सेवा रिकार्ड भी नहीं रहा रखा है; और

(iii) ठेकेदारों के अधीन कर्मचारियों को निधि का सदस्य नहीं बनाया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध इसके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

हलपाटी सेवा संघ वारडोली, बिहार द्वारा अनुदान का दुरुपयोग करना

6972. **श्री छोटू भाई भागित :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें अखिलभारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1978 से 1980 के दौरान अनुदान दिया और प्रत्येक संगठन को कितना अनुदान किस वास्ते दिया ;

(ख) जून 1980 तक हलपाटी सेवा संघ, वारडोली को जिले अनुदान में से उनसे कितनी धनराशि का उपयोग किया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग द्वारा दी गई अनुदान राशि के एक बड़े भाग का दुरुपयोग करने के बारे में एक शिकायत मिली है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मामले में दंडित कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग गुजरात में अपने कार्यक्रमों को गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा बहुत थोड़े रूप में राधापुर स्थित अपने क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है । राज्य में 127 पंजीकृत संस्थाएं तथा 853 सहकारी समितियां हैं तथा उनके नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाए हैं । आयोग द्वारा इन एककों को सहायता राज्य के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से दी जाती है तथा विगत तीन वर्षों में राज्य के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान के रूप में दी गई राशि निम्नलिखित है :—

	खादी	ग्रामोद्योग
	(लाख रुपयों में)	
1978–79	91.70	20.69
1979–80	118.16	29.34
1980–81	95.36	48.57

ये अनुदान खादी पर बिक्री छूट की अदायगी तथा पूंजी और प्रबन्ध के उद्देष्य हेतु दिए जाते हैं। अनुदान उद्योगवार, कार्यवार तथा उद्देश्यवार अलग-अलग होता है ।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हलपाटी सेवा संघ, बारदोली को कोई भी सीधी सहायता नहीं दी है । हलपाटी सेवा संघ, बारदोली को अनुदान के रूप में दी जाने वाली सहायता के रूप में राज्य के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को 4,84,000.00 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस बारे में सरकारी तौर से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति के पदों को न भरने के बारे में शिकायतें :

6973. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा अनुभाग 2 के विरुद्ध उनके लिए आरक्षित कोटे को न भरे जाने के बारे में मिली शिकायतों को वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) (क) इस मंत्रालय के अब तक ससद के दोनों सदनों के पटल पर वर्ष 1978–79 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग की प्रथम रिपोर्ट रखी है । इस रिपोर्ट में ऐसी कोई शिकायतें शामिल नहीं की गई हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Article entitled 'Flyover to the Flesh Market'

6974. SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the article 'Flyover to the Flesh Market' appearing in the 'Probe' of March 1982 high-lighting coming up in Delhi of a large number of Guest Houses and Lodges giving face-lift to the red-light area of G. B. Road, Delhi recruitment of new faces to be ready for Asian Games; etc.;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action taken in the matter